प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर कैम्प जाखासर

प्रभारी अधिकारी:– साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

दीपाराम बनाम जैती देवी वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :– 118/2019

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 18/10/202

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा 08.12.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, तथा तहसीलदार मलसीसर को निदेर्शित किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2021/1230 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

.निज,,–..................–..................मुबलिक–..................–दाबन,........................–..............................
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह–..............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक–..................–.......................... को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर
मलसीसर

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—शकुन्तला(आर.ए.एस.)

दीपाराम बनाम जैतीदेवी वगै0

दावा बाबत विभाजन

मुकदमा नम्बर :— 118/2019

निर्णय

निर्णय दिनांक :—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम हमीरीखां का बास पटवार हल्का जाबासर के भूमि ख0न0 107 रकबा 5.93 है0 भूमि में से वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 500/— रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करे।

.निज,,—...................—....................मुबलिक—....................—दाबन,..........................—.................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह—...............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक—.............. ......—.......................... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 माह 12 सन् 2020 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

शकुन्तला

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

Reader
Check & Report
Presented by Adv. Vinod Kumar Gill
3/12/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

मलसीसर ।

दीपाराम उम्र 61 वर्ष पुत्र रामुराम जाति मेघवाल निवासी हमीरखां का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनुं।

-- वादी

बनाम

1- जैतीदेवी पत्नी शंकरलाल पुत्री लिछमण जाति मेघवाल निवासी कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनुं।

2- पार्वती देवी पत्नी श्रवणराम पुत्री लिछमण जाति मेघवाल निवासी हमीरखां का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनुं।

3- जयसिंह उम्र व्यस्क पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनुं।

4- शिशराम उम्र व्यस्क पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनुं।

5- सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनुं।

-- प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

महोदय,

वादी की ओर से वाद नीचे लिखे अनुसार पूश है:-

--2

1- यहकि ग्राम हमीरखां का बास पटवार हल्का जाबासर में भूमि ख०न० 107 रकबा 5•93 हैक्टर स्थित है।

2- यहकि उक्त भूमि पूर्व में रामुराम व लिछमण की खातेदारी की भूमि थी वादी रामुराम का पुत्र है जिसका वादमें वर्णित भूमिमें 1/2 हिस्सा है जिसको वादी काश्त करता है व काबिज है।

3- यहकि वाद में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा लिछमण का था जिसके केवल 2 पुत्रीयां जैतीदेवी व पार्वती है जिनका सामुहिक रूप से 1/2 हिस्सा रहा। जैतीदेवी ने अपने हिस्से में से कुछ भूमि शीशराम व जयसिंह को विक्रय कर दी जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

4- यहकि वादी अपने 1/2 हिस्से का विभाजन अलग करवाना चाहताहै क्योंकि वादी अपने हिस्से को अलग करवाकर उत्तम खेती करना चाहताहै।

5- यहकि वादीनेको दिनाकं 20-11-2019 को प्रतिवादीगण को सहमति से विभाजन करवाने के लिये कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया इसलिये वाद कारण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ ।

6- यह कि दावा बाबत विभाजन का पेश किया जा रहाहै जो श्रीमानके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

7- यहकि दावा दो रूपये की पुर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

8- यह कि दावा डुप्लीकेट प्रति में पेश है।

9- यह कि दावा अन्दर मियाद पेश है।

--3

10- यहकि दावा में विभाजन की सिद्वि चाही गई है इसलिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादपेशकर निवेदन है कि वाद डिक्री इस अमर का फरमाया जावे कि-

क- वादी का वाद में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से का विभाजन अलग किया जावे प्रारम्भिक डिक्री जारी कर अन्तिम डिक्री जारी की जावे तो वादीको कोई आपति नही है हिस्से का कोई विवाद भी नही है।

ख- यह कि अन्य सिद्वि भुल से चाही जाने से रह गई हो वादी के हक में हो धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाईजावे।

दिनाकं- 03-12-2019

प्रार्थी- वादी

दीपाराम पुत्र रामुराम जाति मेघवाल

निवासी हमीरखां काबास तहसील मलसीसर

जिला झुझुनुं।

तसदीक

मै दीपाराम आयु 61 वर्ष पुत्र रामुराम जाति मेघवाल निवासी हमीरखां का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु सशपथपूर्वक तसदीक करता हु कि वाद पत्र की धारा 1 लगायत आखरी मेरी स्वयं की जानकारी एंव ज्ञान से तथा कानुनी तथ्य कानुनी सलाहकार की सलाह से सही एंव सत्य होना स्वीकार करता हुं।

दिनाकं- 3-12-2019